

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र.सं. 60/2025 जीसीएमएस : 2025/106
मदनलाल बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो जो
इस हुकम की
तामील में जारी
किये गये

21.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बार संघ द्वारा आज कार्य स्थगित रखा गया है। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड/नक्शा में दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से चक 16 एएस तहसील श्रीविजयनगर का खाता सं. 166 मु. नं. 23 प.नं. 225/476 कि.नं. 3/1 में 0.0100 है. गै.मु. आवासीय रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मौका स्थिति के अनुसार कि.नं. 3/1 के उत्तर पूर्व कॉर्नर में 0.0100 है. यानि 33 x 33 वर्गफुट भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, लेकिन तरमीम में $82^{1/2} \times 45$ वर्गफुट है। जो कि गलत है। दुरुस्त करते हुए एकचयुएल तरमीम करने हेतु निवेदन किया है।

रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार चक 16एएस प.नं. 225/476 कि.नं. 3/1-01 है. रकबा मदनलाल पुत्र हेतराम के नाम गै.मु. दर्ज रिकार्ड है। नामा. सं. 379 दिनांक 03.07.2014 के अनुसार रकबा खरीद किया हुआ है। भू नक्शा तरमीम में कि.नं. 3/1 की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 84.5 फीट पूर्व पश्चिम तथा 48.5 फीट उत्तर दक्षिण दर्ज है। मौका पर प्रार्थी द्वारा पशुओं के रहने के लिए टीन शेड बनी है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 33, 33 वर्गफीट यानि 0.010 है. है। नामा.सं. 377 से उक्त रकबा आवासीय में रूपान्तरित हुआ था, जिसमें नक्शा संलग्न नहीं है। प्रार्थी जरिए वाद मौका अनुसार तरमीम करवाना चाहता है। रिपोर्ट तहसीलदार के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार भू नक्शा में उक्त रकबा की तरमीम सेग्रीगेशन के समय संहबन से दर्ज हुई है जो गलत है। नामा. सं. 377 में रूपान्तरकरण दस्तावेज संलग्न है लेकिन नक्शा नहीं है जिससे यह जाहिर नहीं हो रहा कि प्रार्थी ने कि.नं. 3 का किस रकबे का रूपांतरकरण करवाया है।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का रिकार्ड एवं वर्तमान मौका अनुसार कि.नं. 3/1 में 0.0100 है. यानि 33 x 33 वर्गफुट भूमि पर कब्जा है लेकिन भू नक्शा की तरमीम कि.नं. 3/1 की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 84.5 फीट पूर्व पश्चिम तथा 48.5 फीट उत्तर दक्षिण दर्ज है जो कि वास्तविक रिकार्ड में दर्ज भूमि से अधिक है। जिसकी प्रार्थी दुरुस्ती करवाना चाहता है। न्यायालय की राय में दुरुस्ती की जानी उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 16 एएस तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 166 में प्रार्थी मदनलाल के नाम की मु.नं. 23 प.नं. 225/476 कि.नं. 3/1 की 0.0100 है. गै.मु. आवासीय भूमि की भू नक्शा तरमीम को दुरुस्त करते हुए रिकार्ड में दर्ज वास्तविक क्षेत्रफल एवं मौका कब्जा अनुसार 0.0100 है. यानि 33 x 33 वर्गफुट किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

शकुन्तला

R.A.S.

उपस्थित अधिकारी
श्री विजयनगर

